

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/99।

दिनांक:-28/11/2019

आदेश


उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जयपुर के द्वारा के अधीन कुन्हाड़ी, दादाबाड़ी, विज्ञान नगर एवं महावीर नगर-तृतीय आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग-अ एवं मध्यम आय वर्ग-ब के स्वतंत्र/रेन्टल के रिक्त आवासों का निस्तारण खुली नीलामी के माध्यम से अनुशंषा के आधार पर करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या
1	कुन्हाड़ी	MIG-B	1-बी-19
2	कुन्हाड़ी	MIG-B	3-बी-12
3	कुन्हाड़ी	MIG-B	4-ए-2
4	दादाबाड़ी	MIG-B	1-ख-25 (रिक्त रेन्टल आवास)
5	दादाबाड़ी	MIG-B	1-ख-26 (रिक्त रेन्टल आवास)
6	दादाबाड़ी	MIG-A	4-एस-6 (रिक्त रेन्टल आवास)
7	दादाबाड़ी	MIG-A	3-जे-38 (रिक्त रेन्टल आवास)
8	विज्ञान नगर	MIG-A	3-प-17 (रिक्त रेन्टल आवास)
9	विज्ञान नगर	MIG-A	3-ध-23 (रिक्त रेन्टल आवास)
10	महावीर नगर-तृतीय	MIG-A	4-जे-12 (रिक्त रेन्टल आवास)

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त आवासों/फ्लेटों/रिहायशी भूखण्डों का निस्तारण आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करे :-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/आवंटन करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 14/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मु0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. आवासीय अभियंता खण्ड-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक